



21/2026/1/1210711/2026

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 22 जनवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में हृदय रोग संस्थान, कानपुर के बी+जी+3 भवन में अतिरिक्त कार्यों को कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2025-26/404, दिनांक 20.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि हृदय रोग संस्थान, कानपुर के बी+जी+3 भवन में अतिरिक्त कार्यों को कराये जाने हेतु तकनीकी समिति द्वारा आकलित लागत ₹ 275.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में ₹ 128.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-138/2024/1/824297/2024-71-3099/123/2024-03, दिनांक 16.12.2024 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हृदय रोग संस्थान, कानपुर के बी+जी+3 भवन में अतिरिक्त कार्यों को कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूंजीलेखा पक्ष में 4210-03-105-44- गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजी इंस्टीट्यूट हेतु मानक मद-24- वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि ₹ 3000.00 लाख के सापेक्ष **₹ 147.50 लाख (₹ 147 करोड़ सैतालीस लाख पचास हजार मात्र)** निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियाँ तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराये जाने की जिम्मेदारी महानिदेशक/निदेशक/कार्यदायी संस्था की होगी।
3. महानिदेशक/निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। प्रस्तावित कार्य की दुरावृत्ति न हो रही हो।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. शासनादेश संख्या-138/2024/1/824297/2024-71-3099/123/2024-03, दिनांक 16.12.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,47,50,000 (रुपये एक करोड़ सैंतालीस लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 031 लेखा शीर्षक 42100310544 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या:- उपरोक्त, तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उOप्रO, प्रयागराज।
- 2- निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
- 3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उOप्रO लखनऊ।
- 4- वित्त नियंत्रक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, उOप्रO राजकीय निर्माण निगम लिO, लखनऊ।
- 7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।